रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2195] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938
No. 2195] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/BHADRA 17, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

(आयकर)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

का.आ. 2894(अ).—जबकि, करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सेशेल्स गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया है) जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, पर दिल्ली में 26 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त करार 28 जून, 2016 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न उपर्युक्त करार के सभी उपबंध, भारत संघ में कथित करार के अनुच्छेद 12 के अनुरूप लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

सूचनाओं के आदान-प्रदान के संबंध में

भारत गणराज्य की सरकार

और

सेशेल्स गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार एवं सेशेल्स गणराज्य की सरकार, करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने की इच्छुक होकर, इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य और क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु व्यवहार्य रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए सुसंगत हो। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा और अनुच्छेद 8 में दिए गए तरीके से इसको गोपनीय माना जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद 2

क्षेत्राधिकार

इस करार के अनुसार सूचनाओं का आदान-प्रदान इस बात पर ध्यान दिये बिना किया जायेगा कि क्या वह व्यक्ति जिससे सूचनाएं संबंधित है अथवा जिसके पास सूचनाएं रखी गई है, वह संविदाकारी पक्ष का निवासी है। फिर भी, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

शामिल कर

1. वे कर, जो इस अनुच्छेद के अध्ययीन हैं:

   (क) भारत में केन्द्र सरकार अथवा राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के कर इस पद्धति पर ध्यान दिये बिना कि वे किस तरह वसूले गये हैं;

   (ख) सेशेल्स में, सरकार द्वारा लगाये गये प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के कर, उस तरीके पर ध्यान दिये बिना कि वे किस तरह वसूले जाते हैं।

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए पर्याप्त रूप से इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगी। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान में तथा और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्षकार की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हों, एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए:

   (क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

   (ख) "सेशेल्स" शब्द का अभिप्राय विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ सहित सेशेल्स गणराज्य के क्षेत्र से है जहां सेशल्स संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप सागर के कानून पर संप्रभु अधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है;

(ग) पद "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा सेशेल्स, जैसा भी संदर्भ अपेक्षित हो; से है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है

(i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;

(ii) सेशेल्स के मामले में, वित्त के लिए जिम्मेदार मंत्री अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ड.) "व्यक्ति" शब्द पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षकारों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;

(च) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(छ) "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर "जनता द्वारा" क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

(ज) "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;

(झ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है

(i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज; तथा

(ii) सेशेल्स में, प्रतिभूति अधिनियम, 2007 या प्रतिभूति विनिमयों को शासित करने वाले किसी अन्य कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त एक प्रतिभूति विनिमय; और

(iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों;

(ञ) "सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो;

(ट) "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

(ठ) "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;

(ड) "अनुरोधकर्ता पक्ष" से तात्पर्य, संविदाकारी पक्ष से है-

(i) जो सूचना हेतु कोई अनुरोध प्रस्तुत कर रहा हो, या

(ii) अनुरोधित पक्ष से सूचनाएं प्राप्त कर चुका हो।

(ढ) "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य, संविदाकारी पक्ष से है-

(i) जिससे सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, या

(ii) जिसने सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं;

(ण) "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;

(त) "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो;

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद-11 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद-1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता खुद अपने कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार में घटित होता है।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से, अनुरोध पर निम्नलिखित को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार हो:

(क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना;

(ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, "ऐन्स्टालटेन" और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद-2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचनाएं; तथा ऐसी सत्ताओं के बारे में समकक्ष सूचनाएं जो न तो न्यासी हैं और न ही फाउंडेशन ही हैं। यह करार संविदाकारी पक्षों पर सार्वजनिक व्यापार वाली कंपनियों या सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों या योजनाओं की स्वामित्व संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने या उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं डालता, जब तक कि ऐसी सूचनाएं बिना गैर-समानुपातिक कठिनाई उत्पन्न किए प्राप्त की जा सकती हों।

5. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं लिखित में उपलब्ध कराएंगे:

क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;

ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे अनुरोधित पक्ष से प्राप्त करना चाहता है;

घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

ड.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में धारित है;

च) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है; और

छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्त्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा और यह कि यह इस करार के अनुरूप है;

ज) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

6. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

(क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा;

(ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी समर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा ।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है जो घरेलू कानूनों के अन्तर्गत अनुमत्त सीमा तक है ताकि वैयक्तिक अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से वैयक्तिक का साक्षात्कार लिया जा सके तथा रिकार्डों की जांच की जा सके। अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष के भूभाग में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है।

3. यदि पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय, जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को ठुकराने करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है:

   (क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो; अथवा

   (ख) जहां अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी; अथवा

   (ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा:

   (i) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, बशर्ते अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचनाओं को सिर्फ इस कारण से गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ के मानदंडों को पूरा करती है; अथवा

   (ii) सूचनाएं प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक तथा अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत वैध प्रतिनिधि के बीच गोपनीय संप्रेषण को व्यक्त करेगा जहां ऐसे संप्रेषण :

      (क) कानूनी परामर्श की मांग करने के प्रयोजनों हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं अथवा

      (ख) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं; अथवा

   (iii) अपने कानूनों तथा प्रशासनिक पद्धतियों की भिन्नता में प्रशासनिक उपाय करना बशर्ते इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद-5 के पैराग्राफ-4 के अन्तर्गत संविदाकारी पक्ष के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।

4. अनुरोधित पक्ष को उन सूचनाओं को प्राप्त करना अथवा प्रदान करना अपेक्षित नहीं होगा जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष अपने स्वयं के कर कानूनों के प्रशासन अथवा प्रर्वतन के प्रयोजनार्थ अपने स्वयं के कानूनों के तहत अथवा इस करार के अन्तर्गत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध की प्रतिक्रिया में उन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त करने में असक्षम होगा।

5. अनुरोधित पक्ष केवल इस कारण से सूचनाएं प्रदान करने से मना नहीं करेगा क्योंकि उक्त अनुरोध में अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं शामिल नहीं होती है यदि सूचनाएं अनुरोधित पक्ष के कानून के अनुसार अन्यथा प्रदान की जा सकती है।

6. अनुरोधित पक्ष सूचना हेतु अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है यदि सूचना के लिए अनुरोध अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष के कर कानून के ऐसे उपबंध को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो अनुरोधित पक्ष के राष्ट्रिक के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में अनुरोधकर्ता पक्ष के एक राष्ट्रिक की तुलना में पक्षपात करता है।

अनुच्छेद 8

गोपनीयता

इस करार के तहत एक करारित पक्ष द्वारा प्राप्त किसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा तथा वह सूचना केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को दी जा सकती है, जो करारित पक्ष के क्षेत्राधिकार में इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के निर्धारण अथवा संग्रहण, उनसे संबंधित प्रवर्तन या अभियोजन, या उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हों। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। यह सूचना प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकारी को प्रकट नही की जा सकती।

अनुच्छेद 9

लागतें

1. जब तक कि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हों, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्यधीन, सहयोग देने में उपगत असाधारण लागतों को, यदि वे 500 डालर से अधिक हो जाती हैं, अनुरोधकर्त्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 डालर से अधिक होने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी, पहले ही, यह निर्धारित करने के लिए एक-दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे कि क्या अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के संबंध में समय-समय पर परामर्श करेंगे।

4. सामान्य लागतों में आंतरिक प्रशासनिक लागतें, कुछ गौण बाह्य लागतें और अतिरिक्त व्यय शामिल हैं जो अनुरोधित पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु अनुरोधों की समीक्षा करने और उनका उत्तर देने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा उपगत की गई हों। सहायता उपलब्ध कराने में उपगत लागतों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं हैं:

(क) अनुरोधित पक्ष की ओर से दस्तावेजों के प्रतिलिपिकरण हेतु तीसरे पक्षों द्वारा प्रभारित उचित शुल्क;

(ख) व्याख्याताओं, अनुवादकों अथवा अन्य मान्य विशेषज्ञों को रखने के लिए उपयुक्त लागते;

(ग) अनुरोधकर्ता पक्ष को दस्तावेज़ देने के लिए उपयुक्त लागतें;

(घ) सूचना हेतु एक विशिष्ट अनुरोध के संबंध में अनुरोधित पक्ष की मुकदमेबाजी संबंधी उपयुक्त लागतें; और

(ङ) बयान अथवा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लागतें।

अनुच्छेद 10

कार्यान्वयन के विधान

संविदाकारी पक्ष (जहां उन्होने पहले ऐसा न किया हो) करार की शर्तों का अनुपालन करने तथा प्रभाव देने के लिए जब आवश्य हो, कोई विधान बनाएंगे।

अनुच्छेद 11

पारस्परिक करार की विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे।

2. इसके अलावा संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5 तथा 6 के अन्तर्गत प्रयोग करने के लिए प्रक्रियाओं पर परस्पर सहमत हो सकते हैं।

3. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 12

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्षकार इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली की तारीख को लागू होगा तदुपरांत उसके बाद से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 13

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।

2. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को राजनैयिक चैनलों के माध्यम से समाप्ति का लिखित नोटिस देकर करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद करार को समाप्त कर सकता है।

3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. यदि इस करार का समापन हो जाता है, तो दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार के अन्तर्गत प्रदान की गई अथवा प्राप्त की गई किसी सूचना के बारे में अनुच्छेद-8 के उपबंधों से बाध्य रहेंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में, अगस्त, 2015 की 26 तारीख को हिन्दी और अंग्रेजी प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की	सेशेल्स गणराज्य की
सरकार की ओर से:	सरकार की ओर से:
(अरूण जेटली)	(जोयल मोर्गन)
वित्त मंत्री	विदेश एवं परिवहन मंत्री

[अधिसूचना सं. 80/2016/फा. सं. 503/07/1993-एफटी&टीआर-IV]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव